सं० एफ० 1(6)-ई ।।।(ए)/71
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
- -

नई दिल्ली, दिनांक 16 अगस्त 1971

कार्यालय ज्ञापन

विषय : "तत्निम्नवर्ती नियम" (N B R) के अधीन लाभ की मंजूरी ।

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय के 25-3-68 के कार्यालय ज्ञापन सं० फा०।(20)-ई-।।।(ए)/67 का हवाला देते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यदि कोई पद 120 दिन से अधिक अवधि के लिये खाली हो तो तत्निम्नवर्ती नियम (Next below Rule) के अधीन स्थानापन्न पदोन्नति करने की वर्तमान व्यवस्था की पुनः समीक्षा की गयी है और राष्ट्रपतिजी ने निर्णय किया है कि इन आदेशों के अंतर्गत स्थानापन्न पदोन्नति का लाभ तत्निम्नवर्ती नियम के अधीन दी हुई शर्तों के पूरा करने पर, वर्तमान 120 दिन की अवधि की सीमा के बजाय, भविष्य में, 90 दिन से अधिक अवधि के लिये खाली होने वाले प्रत्येक पद के लिये दिया जा सकता है । जिन मामलों में पद के खाली रहने की श्रृंखला कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक अवधि की बनती हो, उनमें पदोन्नति का यह लाभ नहीं दिया जाना चाहिए ।

2. भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों के संबंध में, ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करके जारी किये गये हैं ।

कृपा सिंह

(कृपा सिंह)

उप सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों आदि को ।

प्रतिलिपि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को 140 प्रतियों के साथ प्रेषित ।

- - -